The proposal envisages inflow of foreign exchange on account of equity participation to the extent of 51% amounting to Rs. 42.84 crores. Outflow of foreign exchange on account of import of capital goods is envisaged at Rs. 9.66 crores.

The approval is subject to the stipulation that the company would ensure that the outflow on account of dividends will bet balanced by export earnings over a period of 7 years from the date of commencement of commercial production.

Apart from inflow of foreign exchange on account of direct foreign investment in the equity capital of the joint venture, the proposal would also ensure that froeign exchange outgo on account of dividends are balanced through export earnings.

3198. श्री राम अवधेश सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बहुराष्ट्रिय कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने देश में उद्योगों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है तथा आवेदन भेजे हैं और उनकी शर्तें क्या-क्या हैं ; और

(ख) कोका कोला कंपनी को पिछली सरकार द्वारा किस आधार पर देश से बाहर किया गया था तथा उस सरकार ने 1989-90 में पेप्सी कोला कम्पनी को किस आधार पर आमंत्रित किया था ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) अनुमोदित विदेशी सहयोग संबंधी प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात् भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम, सहयोग का स्वरूप और निर्माण की मदें भारतीय निवेश केन्द्रीय नई दिल्ली द्वारा अपने मासिक न्यूज लेटर के परिशिष्ट के रूप में नियमित आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं । इस प्रकाशन की प्रतियां संसद् पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं । नीति के अनुसार अलग-अलग मामलों में किये गये अनुमोदनों की विशिष्ट शर्तों को जनहित में प्रकट नहीं किया जाता ।

(ख) मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को भारत में अपने उत्पादन संबंधी कार्यकलापों को जारी रखने की अनुमति विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29(2) (क) के अधीन जून, 1977 में दी गई थी और उसमें अन्य शर्तों के साथ-साथ यह शर्त भी लगाई कि कम्पनी की भारतीय शाखा को एक निश्चित अवधि के भीतर भारतीय कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा जिसमें अनिवासी भारतीयों को इक्विटी पूंजी 40 % प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अधीन दी गई अनुमतिको आवश्यक शर्तों को पूरा करने में इन कम्पनी से असमर्थता व्यक्त की और इसने भारत में कारोबार करना बन्द कर दिया ।

यू०एस०ए० की मैसर्स पैप्सीको इंक. के सहयोग से संसाधित फल और वनस्पति उत्पादों, संसाधित आलू, अनाज उत्पादों और साफ्ट ड्रिंक्स कन्सेंशनट्रेटों के उत्पादन के लिए मैसर्स पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के प्रस्ताव को सितम्बर, 1988 में मंजूरी दी गई थी। कम्पनी ने न केवल विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों को मानने की सहमति व्यक्त की थी अपितु पंजाब राज्य में फल और वनस्पति क्षेत्र का विकास करने के लिए भी सहमति व्यक्त की थी और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से 10 वर्षों की अवधि के लिए अपने वार्षिक उत्पादन का 50% निर्यात करने का दायित्व लिया था तथा यह सुनिश्चित करने का भी दायित्व लिया था कि उपर्युक्त 10 वर्षों की अवधि के दौरान इस परियोजना से देश के भीतर आने वाली विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा से कम से कम पांच गुना होगी ।